न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र 251 ए संख्या	तारीख रजू	तारीख आदेश
5/2023	14.2.2023	9.7.2025

1. जगदीश पुत्र कजोड्या,
2. कैलाश पुत्र कजोड्या,
3. धांपा पत्नी स्व. बंशी,
4. रामेश्वर पुत्र स्व. बंशी,
5. कस्तूरी पुत्री स्व. बंशी,
6. अजयपाल पुत्र हंसा,
7. *त्रलोक एवं*

संख्या 6 व 7 नागालिगान पुत्रान हंसा जरिये नैसर्गिक संरक्षिका माता प्रेम,

8. *प्रेम पत्नी हंसा*

सभी जाति बैरवा, निवासी डाबर, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. बदरी पुत्र घासीराम,
2. मुकेश पुत्र कालूराम,
3. विक्की पुत्र कालूराम,
4. भारती पुत्री कालूराम, नाबालिग जरिये संरक्षक, भाई मुकेश,
5. नीतू पुत्री कालूराम एवं
6. आनन्दी पुत्री घासीराम,

सभी जाति बैरवा, निवासी डाबर, तहसील बामनवास

7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, बामनवास

अप्रार्थीगण

मजिस्ट्रेट
नवास

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट

Scanned with CamScanner

आदेश दिनांक: 9.7.2025

आराजी खसरा नम्बर 772 रकवा 0.45 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 773 रकवा 0.39 हेक्टेयर एवं 775 रकवा 2.45 हेक्टेयर (कुल किता 3, कुल रकवा 3.29 हेक्टेयर) स्थित ग्राम डाबर तहसील बामनवास प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् हैं, प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि के उत्तर में भूमि खसरा नम्बर 769 रकवा 0.70 हेक्टेयर अप्रार्थीगण की खातेदारी की है तथा आराजी खसरा नम्बर 774 रकवा 0.08 हेक्टेयर गैरमुमकिन चाह प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त चाह है, जिस चाह से पक्षकारान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपने उक्त खेतो व अन्य आराजियात् की सिंचाई करते आ रहे हैं । आगे कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 753 जयपुर से गंगापुर सिटी मुख्य सड़क मार्ग है, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 772, 773, 775 एवं गैर मुमकिन चाह 774 में मुख्य सड़क मार्ग खसरा नम्बर 753 से खसरा नम्बर 769 के पूर्वी हिस्से से होकर आते जाते रहे हैं, प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 772, 773, 775 एवं गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 774 में आवागमन के लिए एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 769 के पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण करीब 12 फिट चौड़ाई का यही एक मात्र रास्ता है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग के अनुसार दर्शित किया गया

ड मजिस्ट्रेट
ामनवास

Scanned with CamScanner

है । प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण को अपनी आराजियात् में आने जाने हेतु एवं अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है, प्रार्थीगण को अपनी आराजियात् में आने जाने हेतु आम सड़क से निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 769 में होकर ही बनता है, जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि भी अदा करने को तैयार हैं । प्रार्थीगण हमेशा से ही उक्त रास्ते से आवागमन करते रहे हैं, परन्तु अब अप्रार्थीगण के मन में बददयानती आ जाने के कारण वे प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग में व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं, दिनांक 30.12.2015 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के उक्त रास्ते में कांटे डाल दिए तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि अप्रार्थीगण इस रास्ते को बंद करेंगें, प्रार्थीगण को अपने खेतों पर आने जाने नहीं देंगें और न ही इस ओर से कोई कृषि यंत्र आदि निकालने देंगें, उनके अनुसार विधि अनुसार प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है, जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश कर मुख्य सड़क से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 772, 773, 775 एवं 774 में आने जाने व कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 769 में से 12 फिट चौड़ाई का रास्ता पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण दिलाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें ।

खण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब में कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 769 में होकर प्रार्थीगण का

Scanned with CamScanner

आवागमन कभी नहीं रहा है, आराजी खसरा नम्बर 769 में होकर प्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता भी गलत बताया जा रहा है । खसरा नम्बर 769 के पूर्व में ई स्थान पर अप्रार्थीगण का मकान बना हुआ है तथा एक्स स्थान पर बोरिंग है, मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है । प्रार्थीगण द्वारा गलत नक्शा बनाया जाना बताया है । आगे कथन किया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 772, 773, 775 में जाने के लिए विगत 60 सालों से अधिक समय से रास्ता हाल खसरा नम्बर 770 व 771 के पूर्व दिशा में होकर है, यह रास्ता वर्तमान खसरा नम्बर 789 के पश्चिम में है, जो मुख्य सड़क खसरा नम्बर 763 से आबादी की भूमि खसरा नम्बर 788 तक जाकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 772 में जाता है । अप्रार्थीगण के अनुसार यह रास्ता 12 फिट से अधिक चौड़ा रहा है, जिसे संलग्न नजरी नक्शे में ए..बी..सी..डी से दर्शित किया गया है । इसी रास्ते में होकर प्रार्थीगण आते जाते हैं, अपने कृषि यंत्र लाते ले जाते हैं । आगे यह भी कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण मूलतः डाबर के निवासी हैं तथा प्रार्थीगण मूलतः मांदलगांव के निवासी थे, जो कि ग्राम डाबर में आकर बस गये हैं, उस समय जागीरदारी प्रथा का प्रचलन था, राजपूत ठाकुर रामसिंह, किशन सिंह और इनके परिजनों ने प्रार्थीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 788 में बनी हुई आबादी में बसाया, प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 788 में अपने घर बना लिए तथा उक्त राजपूतों से भूमि खसरा नम्बर 772, 773, 775 काश्त करने के लिए ले ली तथा राजपूत ठाकुर

ड मजिस्ट्रेट
मनवास

Scanned with CamScanner

रामसिंह व किशन सिंह आदि की भूमि खसरा नम्बर 789 के पश्चिम में होकर 12 फिट चौड़ा रास्ता नक्शे में ए..बी..सी..डी से दर्शित स्थान पर होकर प्रार्थीगण एवं रामसिंह, किशन सिंह आदि विगत 60 सालों से अधिक समय से आ जा रहे हैं और अपने कृषि यंत्र लाते ले जाते रहे हैं । अप्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण बढ़ईगिरी करते हैं, इसलिए ए..बी..सी..डी रास्ते में होकर गांव के सभी लोग लकड़ी का काम करवाने इसी रास्ते में होकर आते जाते हैं, प्रार्थीगण को अपने खेतों में सिंचाई के लिए कुए की आवश्यकता थी, दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अकेले ही कुआ बनवा सकें । इस कारण प्रार्थीगण व इनके परिवार ने तथा अप्रार्थीगण व इनके परिवार ने 1965 में शामलाती कुआ बनवाया, जिससे दोनों पक्षकारान अपने अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, खसरा नम्बर 774 में बने कुए पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 769 में होकर कभी नहीं गये, प्रार्थीगण इस कुए का उपयोग अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 772, 773, 775 में होकर करते हैं तथा आगे आबादी की भूमि खसरा नम्बर 788 में होकर नक्शे में दर्शित स्थान ए..बी..सी..डी में होकर आम रास्ते में आते हैं । भूमि खसरा नम्बर 768 व 769 अप्रार्थीगण की है तथा भूमि खसरा नम्बर 770 व 771 के परिवारजन सुखजी बैरवा की है, कुआ खसरा नम्बर 774 में सुखजी का नाम भी अंकित है, चूंकि कुआ शामलाती है, इसलिए अप्रार्थीगण की भूमि आधी कुए के पश्चिम की ओर बने तथा प्रार्थीगण की पूर्व दिशा की ओर बने,

उप मजिस्ट्रेट
रामनवास

Scanned with CamScanner

ताकि कुए से पानी निकालने के लिए नाव चलाई जा सके । इस हेतु 587 वर्ग गज भूमि खसरा नम्बर 775 में होकर उत्तर की ओर, यानि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 769 के दक्षिण में 775 में से दी । तथा 587 वर्ग गज भूमि अप्रार्थीगण ने वर्तमान खसरा नम्बर 771 के दक्षिण की ओर प्रार्थीगण को दी । इस बाबत लिखापढ़ी स्टॉम्पों पर दिनांक 5.10. 1965 को श्री महावीर प्रसाद जैन ने की, जिस पर प्रार्थीगण के पिता कजोडया ने हस्ताक्षर किए तथा गवाह रामसिंह व हरनारायण गुर्जर ने हस्ताक्षर किए, जंसी बैरवा, गणपत सिंह राजपूत व सरवण बैरवा ने गवाही के नाते अंगूठा निशानी की, यह लिखावट प्रार्थीगण के पिता कजोड्या ने अप्रार्थीगण को लिखकर दी है, इसी प्रकार की लिखावट अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को दी है । अप्रार्थीगण के अनुसार शामलाती कुआ बनवाते समय या दिनांक 5.10.1965 की लिखावट करते समय यदि प्रार्थीगण का रास्ते के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होता या प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि में होकर होता तो प्रार्थीगण सन् 1965 में ही रास्ते का विवाद उठा देते और उसी समय इस बाबत लिखापढ़ी हो जाती । चूंकि प्रार्थीगण का रास्ता ए..बी..सी..डी से दर्शित रास्ते से ही प्रारंभ से चला आ रहा है, इस कारण प्रार्थीगण ने कोई रास्ता नहीं माँगा । वर्तमान में प्रार्थीगण ने अपनी आबादी खसरा नम्बर 775 के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बना ली तथा पुरानी आबादी की भूमि खसरा नम्बर 788 में बने घर जीर्ण शीर्ण हो गये तथा पुरानी आबादी की भूमि खसरा नम्बर 788 रामसिंह की

Scanned with CamScanner

जोजे कोरानी के नाम दर्ज है, वर्तमान सरपंच किशन सिंह उक्त रामसिंह का पुत्र है, किशन सिंह अप्रार्थीगण से विद्वेष रखता है, इस कारण किशन सिंह ने षड्यंत्र रचते हुए अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से प्रार्थीगण से यह प्रकरण पेश करा दिया है । चूंकि प्रार्थीगण को किशन सिंह राजपूत व उसके पिता रामसिंह ने बसाया तथा काश्त के लिए जमीन दी, इस कारण प्रार्थीगण किशन सिंह से दबे हुए हैं । किशन सिंह की चाल है कि यदि प्रार्थीगण की भूमि के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता मिल जाता है तो किशन सिंह व उसके परिवार की भूमि में होकर प्रार्थीगण के रास्ते से मुक्ति मिल जायेगी और किशन सिंह रास्ते की भूमि को अपनी भूमि मे मिला लेगा । दिनांक 30.12.2015 को अप्रार्थीगण ने कोई कांटे नहीं डाले, जब मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है तो उसे बंद करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । विशेष विवरण में करीब करीब इन्हीं तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि विगत 60 से भी अधिक सालों से ए..बी..सी..डी स्थान पर होकर ही रास्ता रहा है, आराजी खसरा नम्बर 769 में बने हुए मकान करीब 20 साल पूर्व के बने हुए हैं, एक्स स्थान पर 10 वर्ष पुरानी बोरिंग लगी हुई है । इस प्रकार प्रार्थीगण का यह कथन अपने आप में झूंठा साबित हो जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 769 में पूर्व दिशा की ओर कोई 12 फिट चौड़ा रास्ता रहा है । इस आधार पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का अनुरोध किया है ।

उ मजिस्ट्रेट
नवास

Scanned with CamScanner

अन्य अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है ।

निर्णय को आगे लिखने से पूर्व यहां पर इस बात का उल्लेख कर दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि इन्हीं पक्षकारों के मध्य इन्हीं कथनों के इस प्रकरण का निस्तारण दिनांक 7.6.2017 को किया जा चुका था, जिसके विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में निगरानी पेश की गई, उसके उपरान्त यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सुना गया, जहां पर दोनों अधीनस्थ न्यायालों द्वारा पारित आदेश इस निर्देश के साथ निरस्त कर दिए गए कि उप जिला कलेक्टर बामनवास पक्षकारान की उपस्थिति में स्वयं अथवा स्वयं तहसीलदार के माध्यम से मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करावें, तत्पश्चात् प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । लिहाजा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है ।

इस न्यायालय के पत्र कमांक 227 दिनांक 20.6.2025 द्वारा तहसीलदार बामनवास को निदेर्शित किया गया कि वह इस प्रकरण में वह उभय पक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करें । जिस पत्र की अनुपालना में तहसीलदार बामनवास द्वारा अपने पत्र संख्या 204 दिनांक 26.6.2025 से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसमे उसके द्वारा कथन किया गया है

Scanned with CamScanner

कि इसी प्रकरण में पूर्व में दो बार मौका निरीक्षण किया जाकर पत्र संख्या 85 दिनांक 18.3.2024 एवं पत्र संख्या 858 दिनांक 10.12.2024 से मौके की रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, वर्तमान में भी रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत है । ग्राम डाबर के खसरा नम्बर 772, 773 एवं 775 की खातेदारी जगदीश के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 769 की खातेदारी बदरी के नाम दर्ज है । जगदीश आदि खातेदारों द्वारा बदरी व अन्य की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 769 में होकर रास्ता चाहा है, जो कि खसरा नम्बर 770 व 771 की पश्चिमी मेड़ के सहारे प्रस्तावित है । इसी पत्र में आगे कथन किया गया गया है कि खातेदार बदरी के द्वारा खसरा नम्बर 772, 773 एं 775 तक पहुँचने के लिए खसरा नम्बर 789 की पश्चिमी मेड़ पर डॉटेड लाईन से रास्ता बताया गया है, जबकि चालू नक्शा शीट ग्राम डाबर में किसी डॉटेड रास्ते का अंकन नहीं है । खसरा नम्बर 789 की पश्चिमी मेड़ के सहारे ऐसा कोई रास्ता चालू नहीं है, जिससे खसरा नम्बर 772, 773 व 775 तक कृषि संसाधनों का आवागमन संभव हो । चूंकि खसरा नम्बर 772, 773 व 775 पर कृषि कार्य हेतु रास्ते की आवश्यकता है, अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, उक्त भूमि तक पहुँचने हेतु खसरा नम्बर 769, जो कि बदरी आदि की खातेदारी में है, जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है, उक्त प्रस्तावित रास्ता कृषि कार्य के काम आने वाले संसाधनों के आवागमन हेतु सुविधाजनक व सबसे कम दूरी का उपयुक्त रास्ता है ।

उप मजिस्ट्रेट
कोटपूतली

Scanned with CamScanner

उल्लेखनीय होगा कि इस मौका रिपोर्ट के बारे में की गई आपत्तियों का पूर्व में ही निस्तारण किया जाकर आपत्तियों को निरस्त कर दिया गया है ।

इस प्रकार उपरोक्त प्रकार से जो स्थिति हमारे सामने आई है, उसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 26.6.2025 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 769 की पूर्वी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण स्थान ई..एक्स, 12 फिट चौड़ाई में, क्षेत्रफल 0.01 एयर, जो मुख्य सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 774 तक जा रही है, उसे राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी व नक्शा ट्रैस में रास्ते की भूमि होना दर्ज की जावे तथा रास्ते बाबत ली गई जमीन का डी.एल.सी. रेट से नियमानुसार मुआवजा प्रार्थीगण से जमा कराया जावे । यह राशि खातेदार बदरी आदि अप्रार्थीगणा को नियमानुसार वितरित की जायेगी ।

09/07/25
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 9.7.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

09/07/25
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Scanned with CamScanner